न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।

पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय

ए0बी0पी0– 363 / 2026

(थरथरी थाना कांड संख्या– 49 / 2026)

सुषमा उर्फ सुषमा देवी एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
01.06.2026	आवेदकगण 1. सुषमा उर्फ सुषमा देवी 2. रूदल पासवान 3. दीपक पासवान 4. द्वारिका पासवान 5. श्रीकांत पासवान 6. रितु कुमारी 7. गुड्डु पासवान 8. सुभाष पासवान की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 191(2), 190, 126(2), 115(2), 74, 333, 352 बी0 एन0 एस0 के तहत थरथरी थाना कांड संख्या– 49 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में किसी भी प्रकार का अग्रिम या नियमित जमानत की अर्जी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं की गई है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा कोई घटना नहीं किए हैं। अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूठी, निराधार, मनगढ़ंत और बनावटी है तथा इसमें सच्चाई का एक अंश भी नहीं है। आवेदकों पर लगाई गई भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 333 और 190 को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। इसके अलावा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, बी.एन.एस. की धारा 74, 333 और 190 आवेदकगण पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती हैं। सूचक ने आवेदकगण की पैतृक और खतियानी भूमि को अवैध रूप से हड़पने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से उनके खिलाफ यह झूठा और मनगढ़ंत मामला दर्ज कराया है। वर्तमान आपराधिक कार्यवाही याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने की रणनीति है। वास्तव में, आवेदक सुभाष पासवान की पत्नी कुमकुम देवी ने पहले सूचक के पति और परिवार के खिलाफ थरथरी थाना कांड संख्या– 48 / 2026 दर्ज कराया था। यह मामला बी.एन.एस. की धारा 191(2), 190, 126(2), 115(2), 74, 333 और 352 के तहत दर्ज है। इसलिए, वर्तमान मामला केवल बदले की भावना और दुश्मनी के कारण दर्ज कराया गया एक जवाबी मामला है। आवेदक, सुभाष पासवान, अपनी आजीविका के लिए पुणे (महाराष्ट्र) में रहते हैं और कथित घटना की तारीख और समय पर वह पुणे में अपने कार्यस्थल पर मौजूद थे। इसलिए, उक्त याचिकाकर्ता के लिए घटना स्थल पर उपस्थित होना या सूचक के साथ ऐसी किसी घटना को अंजाम देना शारीरिक रूप से असंभव था। आवेदक सुभाष पासवान Sarvandya Enterprises के प्रोपराइटर अरविंद कुमार गुप्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं, जो पुष्टि करता है कि सुभाष पासवान 18.12.2025 से लेकर अब तक लगातार उक्त कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं। आवेदक रूदल पासवान एक सम्मानित, शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सूचक और याचिकाकर्ता एक ही गांव के निवासी और निकटतम पड़ोसी हैं, और वर्तमान विवाद को केवल ग्रामीण और भूमि की राजनीति के कारण आपराधिक रंग दिया गया है। आवेदक 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि निर्मला देवी दिनांक 19.03.2026 को सुबह लगभग 07:30 बजे अपने घर में थी। तभी	

लगातार...

अचानक उसके पड़ोसी सुषमा देवी, रूदल पासवान, दीपक पासवान, द्वारिका पासवान, श्रीकांत पासवान, गुड्डु पासवान, सोनू पासवान, सावित्री देवी, रितू पासवान और सुभाष पासवान सभी आए और बेवजह गाली–गलौज करने लगे। जब परिवादिनी ने गाली देने से मना किया, तो इन सभी लोगों ने मिलकर उसे मुक्के और लाठी–डंडे से मारना शुरू कर दिया और बोलने लगे कि यह मेरा जमीन है। इस मारपीट को देखकर जब धीरज कुमार, अनीशा कुमारी और परिवादिनी के पति संजीवन पासवान बीच–बचाव करने आए, तो उक्त लोगों ने उन्हें भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिवादिनी ने सभी घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थरथरी में कराया। श्रीमान, उक्त लोग हमेशा जमीनी विवाद को लेकर मेरे साथ मारपीट करते हैं और इस बार उन्होंने घर में घुसकर मेरी इज्जत लूटने का भी प्रयास किया।

सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण का काण्ड दैनिकी में आपराधिक इतिहास नहीं दिया गया है। इस याचिका के पारा 3 के तहत आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण एवं अन्य के विरूद्ध जेनरल और ओमनिबस आरोप है। ज़ख्म प्रतिवेदन सामान्य प्रकृति के हैं। दोनों पक्षों की तरफ से केस हुआ है। जमीनी विवाद स्वीकार करते हैं।

अतः आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदकगण के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे 10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	01.06.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	
Uploaded by	